

**न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला –बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रक.क्रमांक-852 / 2011

संस्थित दिनांक –11.11.2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-रूपझर,

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// **विरुद्ध** //

रविन्द्र पिता बकतसिंह उईके, उम्र 42 वर्ष

निवासी-जैतपुरी, पुलिस चौकी डोरा, थाना रूपझर,

जिला बालाघाट(म.प्र.)

आरोपी

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-05 / 12 / 2014 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 324(दो काउंट), 506 (भाग-दो) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-26.10.2011 को समय 11 बजे स्थान जैतपुरी प्रार्थिया सीताबाई के मकान के पास चौकी डोरा थाना रूपझर जिला बालाघाट अंतर्गत लोक स्थान पर प्रार्थिया को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित करते हुए लकड़ी को धारदार हथियार की तरह इस्तेमाल कर प्रार्थिया सीताबाई एवं आहत देल्हनसिंह को मारपीट कर स्वैच्छया उपहति कारित की एवं जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिप्रास कारित किया।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक-26.10.2011 को समय 11 बजे जब प्रार्थिया काम करके अपने घर के पास पहुंची थी तभी आरोपी आया और उसे कहां गई थी पूछने लगा और उसे अश्लील गाली-गलौच करने कर लकड़ी से उसके सिर और पैर पर मारपीट किया गया, प्रार्थिया सीताबाई के द्वारा चिल्लाने पर उसका पति देल्हनसिंह आया और बीच-बीच किया गया तो आरोपी ने उसे भी अश्लील गाली-गलौच और मारपीट करने लगा। आरोपी ने उन्हें रिपोर्ट करने से मना करते हुये जान से मारने की धमकी दिया। उक्त घटना की रिपोर्ट प्रार्थिया/आहत सीताबाई द्वारा चौकी डोरा में दर्ज करायी गई, जिस पर पुलिस चौकी डोरा में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-0/11, धारा-294, 323, 324, 506(भाग-दो) भा.द.वि. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करते हुये असल नम्बर पर थाना रूपझर में अपराध क्रमांक-128/2011 धारा-294, 323, 324, 506(भाग-दो) भा.द.वि. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया

गया। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया, घटना में प्रयुक्त संपत्ति को जप्त किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये एवं आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 324(दो काउंट), 506 (भाग-दो) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म करना अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह हैं कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-26.10.2011 को समय 11 बजे स्थान जैतपुरी प्रार्थिया सीताबाई के मकान के पास चौकी डोरा थाना रूपझर जिला बालाघाट अंतर्गत लोक स्थान पर प्रार्थिया को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर लकड़ी को धारदार हथियार की तरह इस्तेमाल कर प्रार्थिया सीताबाई एवं आहत देल्हनसिंह को मारपीट कर स्वैच्छया उपहति कारित की?
3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर प्रार्थिया को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया?

विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

5— प्रार्थिया/आहत सीताबाई (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानती है। घटना दीपावली लक्ष्मी पूजन के समय दिन के 10 बजे की है। वह अपने भांजे के घर से वापस आ रही थी तो उसके घर के पास आरोपी अपने घर से निकला और गली में आकर उसे कहने लगा कि मादरचोद, बहनचोद तू कहां गई थी। आरोपी उसकी साड़ी को पकड़कर खींचतान करने लगा और लाठी से उसे सिर पर मारा। उसका पति देल्हनसिंह बचाने आया तो आरोपी ने उसे भी मारा। उक्त घटना में उसे सिर और पैर में चोट आयी थी तथा उसके पति देल्हनसिंह को पसली में चोट आयी थी। उसने उक्त घटना की जानकारी सरपंच को दी थी उसके बाद उसने चौकी में रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 दर्ज करायी थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष प्रदर्श पी-2 का नक्शा नहीं बनाया था, किन्तु उस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उनका मुलाहिजा करवाया था तथा पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट उसे पढ़कर नहीं बतायी गई थी और पुलिस ने उसका बयान नहीं लिया था। किन्तु बचाव पक्ष की ओर से साक्षी के मुख्य परीक्षण में रिपोर्ट एवं पुलिस कथन के अनुरूप किये गये कथन का खण्डन उसके प्रतिपरीक्षण में नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी द्वारा रिपोर्ट पढ़कर न देखने और

पुलिस द्वारा उसके बयान न लेने की स्वीकारोक्ति का कोई महत्व नहीं रह जाता और न ही इस तथ्य का बचाव पक्ष को कोई लाभ प्राप्त होता है।

6— आहत देल्हनसिंह (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना पिछले वर्ष दीपावली के समय दिन के 10 बजे की है। उसकी पत्नी, भतीजे के घर से वापस घर आ रही थी तो घर के पास रास्ते में आरोपी आया और मादरचोद, बहनचोद की गाली देने लगा तथा कपड़े पकड़कर खींचने लगा और सिर और पैर में मारा। उक्त घटना समय जब वह बीच-बचाव करने गया तो उसे भी आरोपी ने लकड़ी से पसली में मारा था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामले का समर्थन किया है।

7— श्यामसिंह (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना दीपावली के समय दिन के 10-11 बजे की है। वह अपने चाचा के घर आटा लेने गया था तो वहां पर कुछ बच्चों ने आकर उसे बताया था कि आरोपी उसके माता-पिता के साथ मारपीट कर रहा है। जब वह घटना स्थल पर गया था तो उसके माता-पिता चोटिल अवस्था में थे। उसके पिता को पसली में तथा माता को सिर पर चोट आयी थी। उसने गांव वालों के साथ जाकर सरपंच को बताया था और फिर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि वह घटना के समय उपस्थित नहीं था, इसलिये नहीं बता सकता कि किसने-किसको मारा था। साक्षी ने चक्षुदर्शी के रूप में अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है, किन्तु घटना के तत्काल पश्चात् मौके पर पहुंचकर उसने आहतगण को चोटिल अवस्था में देखा और उनके बताये अनुसार घटना का वृत्तांत अपनी साक्ष्य में पेश किया है, जिसका खण्डन बचाव पक्ष की ओर से पेश नहीं किया गया है।

8— वर्षाबाई (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को एवं आहतगण को जानती है। घटना पिछले साल दीपावली के समय 10 बजे की बात है। जब वह घर के अंदर से बाहर आयी तो देखी कि आरोपी रविन्द्रसिंह, सीताबाई को मारपीट कर रहा था। उसके द्वारा जब बीच-बचाव किया गया तो आरोपी ने उसे भी लकड़ी से सिर पर मारा था, जिससे खून निकल रहा था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान ली थी। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी ने सीताबाई को गाली दी थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा बीच-बचाव करने पर आरोपी ने उसे भी मारपीट किया था। साक्षी ने उसके पुलिस कथन के अनुरूप साक्ष्य पेश कर अभियोजन मामले का समर्थन किया है। इस साक्षी का आहत के रूप में अभियोजन की ओर से उसकी चोटों का मुलाहिजा नहीं कराया गया है और इस आहत की चोट के लिये आरोपी के विरुद्ध मामला अभियोजित भी नहीं किया गया है। यद्यपि इस साक्षी ने आहत सीताबाई को

मारपीट किये जाने की पुष्टि अपनी साक्ष्य में चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में की है।

9— मंगलसिंह (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को एवं आहत सीताबाई को जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उसे जानकारी नहीं है कि पुलिस ने आरोपी से क्या जप्त की थी, किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-3 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं की थी, किन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-4 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी ने फरियादी सीताबाई को गाली-गलौच कर आहतगण सीताबाई व देल्हनसिंह को मारपीट कर, उन्हें चोट पहुंचायी थी। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि आरोपी ने उसके सामने जान से मारने की भी धमकी दी थी। साक्षी ने उसके पुलिस कथन से इंकार कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-3 व गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-4 की कार्यवाही से भी इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामले का समर्थन किसी भी प्रकार से नहीं किया है।

10— संतोष (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उसे जानकारी नहीं है कि पुलिस ने आरोपी से क्या जप्त की थी। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-3 पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। उसके सामने पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं की थी। गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-4 पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके सामने आरोपी से जप्ती की कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके सामने किसी भी प्रकार का लड़ाई-झगडा नहीं हुआ था। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामले का समर्थन किसी भी प्रकार से नहीं किया है।

11— डाक्टर डी.के.राउत (अ.सा.7) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-08.11.2011 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ था। डाक्टर गजभिये द्वारा आहत सीताबाई पति देल्हनसिंह एवं आहत देल्हनसिंह पिता अगनू को एक्सरे हेतु रिफर किया गया था। एक्सरे टेक्निशियन ए.के.सेन द्वारा आहत सीताबाई के खोपड़ी का तथा आहत देल्हनसिंह पिता अगनू के सीने का एक्सरे किया गया था। आहत सीताबाई की एक्सरे प्लेट क्रमांक-4097 जो आर्टिकल ए-1 परीक्षण किये जाने पर उसने आहत सीताबाई के खोपड़ी के हड्डियों में खून एकत्रित होना नहीं पाया था। आहत देल्हनसिंह पिता अगनू के एक्सरे प्लेट क्रमांक-3947 है जो आर्टिकल ए-2 है, का परीक्षण किये जाने पर उसने आहत देल्हनसिंह के सीने की हड्डियों में अस्थि भंग होना नहीं पाया था। उक्त आहतगण की एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 एवं प्रदर्श पी-6 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। चिकित्सीय साक्षी ने अपने चिकित्सीय अभिमत में आहत सीताबाई व देल्हनसिंह को अस्थि भंग न होने की रिपोर्ट प्रमाणित की है।

12— डाक्टर वासु क्षत्रिय (अ.सा.8) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-26.10.2011 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उकवा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आहत सीताबाई एवं आहत देल्हनसिंह को चिकित्सीय परीक्षण हेतु उसके समक्ष लाया गया था, उसके द्वारा उक्त आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण किया गया था, जिसमें आहत सीताबाई को चोट कड़े एवं बोथरे वस्तु से तथा आहत देल्हनसिंह को चोट कड़े, बोथरे एवं खुरदुरे वस्तु से आना प्रतीत हो रही थी। उसके द्वारा आहतगण को विशेषज्ञ की जांच एवं सलाह हेतु जिला चिकित्सालय बालाघाट रिफर किया गया था। उक्त चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-7 एवं प्रदर्श पी-8 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। साक्षी के चिकित्सीय अभिमत से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि घटना के समय आहत सीताबाई व देल्हनसिंह को साधारण उपहति कारित हुई थी।

13— अनुसंधानकर्ता पी.डी.मोंगरे (अ.सा.9) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-26.10.2011 को चौकी डोरा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को प्रार्थिया सीताबाई की मौखिक रिपोर्ट पर उसके द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-0/11, धारा-294, 323, 324, 506 भाग-दो भा.द.वि. का आरोपी के विरुद्ध लेख किया था, जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आहत सीताबाई व देल्हनसिंह को शासकीय अस्पताल परसवाडा चिकित्सीय परीक्षण हेतु भेजा गया था। उक्त दिनांक को ही असल नम्बरी हेतु प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-1 को थाना रूपझर भेजा गया था। विवेचना के दौरान दिनांक-28.10.2011 को प्रार्थिया सीताबाई की निशानदेही एवं साक्षी मंगलसिंह की उपस्थिति में घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा प्रार्थिया सीताबाई, आहत देल्हनसिंह, साक्षी मंगलसिंह, श्यामसिंह, वर्षाबाई के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया था। दिनांक-30.10.2011 को आरोपी से साक्षियों के समक्ष जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-3 दर्शित अनुसार एक लाठी जप्त किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-4 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने अनुसंधान के दौरान की गई सम्पूर्ण कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

14— आरोपी के द्वारा मारपीट के दौरान उपयोग किये गये किसी धारदार या खतरनाक साधन वाले वस्तु की जप्ती नहीं की गई है, बल्कि अनुसंधानकर्ता के द्वारा आरोपी मारपीट में उपयोग में आने वाली लाठी को जप्त किया जाना प्रकट किया है। आहत सीताबाई एवं देल्हनसिंह का चिकित्सीय परीक्षण करने वाले चिकित्सीय साक्षी डाक्टर वासु क्षत्रिय (अ.सा.8) ने अपनी साक्ष्य में आहत को आयी चोटों के संबंध में धारदार वस्तु से चोट आना प्रकट नहीं किया है। आहतगण सीताबाई एवं देल्हनसिंह ने भी अपनी साक्ष्य में आरोपी के द्वारा मात्र लाठी व लकड़ी से मारपीट किया जाना प्रकट किया है। इस प्रकार आरोपी के द्वारा आहतगण को मारपीट में उपयोग किये जाने वाले साधन

लकड़ी व लाठी के रूप में कथन किये जाने और अन्य समर्थनकारी साक्ष्य के कथन से तथ्यों में विरोधाभास न होने से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि आरोपी ने आहतगण को साधारण चोट पहुंचाने के आशय से उन्हें लाठी से मारकर उपहति कारित की थी, जो कि स्वैच्छया उपहति कारित करने की श्रेणी में आता है।

15— अभियोजन की ओर से स्वयं फरियादी सीताबाई व देल्हनसिंह ने आरोपी के द्वारा घटना के समय मादरचोद बहनचोद के शब्दों के उच्चारण कर गाली-गलौच करने के कथन किये हैं, किन्तु यह प्रकट नहीं किया है कि उक्त शब्दों को सुनने में उन्हें व अन्य दूसरों को बुरा लगा था। वास्तव में पक्षकारगण ग्रामीण परिवेश के होकर जिस सामाजिक स्तर में जीवन यापन कर रहे हैं, उस स्तर पर उपरोक्त गाली-गलौच के शब्दों का सामान्य रूप से उपयोग बोल-चाल में किया जाता है। अभियोजन की ओर से अन्य साक्षीगण ने अश्लील शब्दों के उच्चारण के संबंध में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार आरोपी के द्वारा कथित अश्लील शब्दों के उच्चारण से फरियादी एवं अन्य को क्षोभ कारित होने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है।

16— आरोपी के विरुद्ध फरियादी सीताबाई को जान से मारने की धमकी दिये जाने का आरोप है, किन्तु स्वयं फरियादी सीताबाई (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में उसे घटना के समय आरोपी के द्वारा कथित जान से मारने की धमकी दिये जाने का कथन नहीं किया है। अन्य महत्वपूर्ण साक्षी देल्हन सिंह (अ.सा.2) ने कथित जान से मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। मात्र साक्षी वर्षाबाई (अ.सा.4) ने उसे पक्ष विरोधी घोषित किये जाने पर ये व्यक्त किया है कि आरोपी ने जान से मारने की धमकी दिया था, किन्तु उक्त धमकी किसे दिया, इसका खुलासा साक्ष्य में नहीं किया है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत महत्वपूर्ण साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में आरोपी के द्वारा फरियादी सीताबाई को जान से मारने की धमकी दिये जाने के तथ्य के संबंध में कथन नहीं किये हैं। इस कारण यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी ने फरियादी सीताबाई को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

17— प्रकरण में अभियोजन की ओर आरोपी के विरुद्ध केवल इस तथ्य को प्रमाणित किया गया है आरोपी ने घटना के समय लाठी से आहत सीताबाई एवं देल्हनसिंह को साधारण उपहति कारित की थी। आरोपी के द्वारा उक्त लाठी का उपयोग खतरनाक साधन या धारदार वस्तु के रूप में किये जाने का तथ्य प्रमाणित नहीं है। ऐसी दशा में आरोपी को आहतगण सीताबाई एवं देल्हनसिंह भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 (दो काउंट) के स्थान पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323 (दो काउंट) के अपराध हेतु दोषसिद्ध ठहराया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है।

18— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन के द्वारा अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित किया है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में आहत सीताबाई एवं देल्हनसिंह को मारपीट स्वैच्छया उपहति कारित किया। अभियोजन के द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया है

कि उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आरोपी ने फरियादी सीताबाई को अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया एवं जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिप्रास कारित किया। फलस्वरूप आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 506 भाग-दो के अन्तर्गत दोषमुक्त कर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323 (दो काउंट) के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

19— आरोपी के द्वारा किये गये अपराध को देखते हुए, उसे अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थगित किया जाता है।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

पश्चात्—

20— आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी ने निवेदन किया है कि उसका यह प्रथम अपराध है। अतएव उसे केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर छोड़ा जावे।

21— आरोपी के द्वारा वर्ष 2011 से मामले में विचारण का सामना किया जा रहा है, जिसमें वह प्रत्येक पेशी पर नियमित रूप से उपस्थित होता रहा है। आरोपी के द्वारा आहत सीताबाई एवं देल्हनसिंह को मामूली चोट कारित की गई है। आरोपी के विरुद्ध अन्य अपराध में पूर्व दोषसिद्धि का प्रमाण उपलब्ध नहीं है। आरोपी के द्वारा किये गये अपराध एवं मामले की परिस्थिति को देखते हुए आरोपी को मात्र अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने से ही न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323 (दो काउंट) के अंतर्गत 1,000—1,000/— (एक-एक हजार रुपये) कुल 2,000/— (दो हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यक्तिक्रम की दशा में आरोपी को एक-एक माह का सादा कारावास भुगताया जावे।

22— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

23— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक नग लकड़ी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट